तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
16.02.2026	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पूर्व में दिनांक 03.02.2026 को प्रकरण में बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 1970 रकबा 1.26 है0, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी में दर्ज किया है, जो गलत है। इस खसरा नंबर में से 0.65 है0 रोड से लगता हुआ खसरा नंबर 1979 से उत्तर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है, इसलिये 0.65 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जावे व अलग से नवीन खसरा नंबर को प्रदर्शित किये जाने हेतु निवेदन किया है। मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गई अशुद्धी को शुद्ध करने हेतु निवेदन किया है। भू–प्रबंध विभाग की इस त्रुटी को लिपिकीय त्रुटी अथवा सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई ऐसी त्रुटि नहीं माना जा सकता, जिसे धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत परिवर्तित किया जा सके। धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत नक्शा शुद्ध किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०) Signature Not Verified Digitally signed by Jogendra Singh Date: 2026.03.06 11:31:51 IST Reason: SelfAttested	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा